भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1119

28 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों का तीसरा वेतन संशोधन

1119. श्री संजय सिहं:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों ने तीसरे वेतन संशोधन के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित योग्यताओं को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तीसरे वेतन संशोधन के लिए ये अधिकारी कब तक पात्र होंगे;

(ग) 'सेल' अधिकारियों के वेतन संशोधन को लागू किए जाने में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) क्या 'सेल' में वेतन और मजदूरी संशोधन के लिए डीपीई दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (घ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों (अधिकारियों) के संबंध में वेतन संशोधन को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों द्वारा प्रशासित किया जाता है। सेल में अंतिम वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2007 से 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सेल दिनांक 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन के लिए पात्र नहीं था। वित्त वर्ष 2019-20 के परिणामों की घोषणा के उपरांत, सेल डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन संशोधन के लिए पात्र हो गया है।

****